न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
66/2012	21-02-2012	18/01/22

उनवान

01. शेर मौहम्मद पुत्र श्री मुनीर कौम मेव उम्र करीब 50 साल पेशा खेती साकिन नीमली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: वादी

बनाम

01. ईसाक पुत्र चाहत कौम मेव उम्र करीब 65 साल
02. सहाबदीन पुत्र चाहत कौम मेव उम्र करीब 55 साल
03. रहीस पुत्र चाहत कौम मेव उम्र करीब 50 साल साकिनान नीमली तहसील तिजारा जिला अलवर।
04. जरीना पुत्र चाहत कौम मेव उम्र करीब 45 साल साकिन मलाई तहसील हथीन (हरियाणा)
05. रमजान पुत्र सुमेर कौम मेव उम्र करीब 65 साल साकिन नीमली तहसील तिजारा जिला अलवर।
06. रमजू पुत्र सुमेर कोम मेव उम्र करीब 35 साल साकिन नीमली तहसील तिजारा जिला अलवर।
07. फजरी पुत्री सुमेर कोम मेव उम्र करीब 60 साल साकिन मालूका तहसील हथीन (हरियाणा)
08. दीनी पुत्री सुमेर कौम मेव उम्र करीब 40 साल साकिन नकलपुर, पुन्हाना (हरि0)
09. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब (वहैसियत भूमिधारी अधिकारी) तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस शय का पेश किया है कि आराजी खसरा न0 1237 रकवा 0.08 है0 गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम नीमली तहसील जारा जिला अलवर (राज0) है। जो कि इस वाद में विवादित आराजी विवादित कहलायेगी। उक्त आराजी मिन ी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की अवट आराजी है कि जिसमे वादी का 2/6 भाग अर्थात 1/3 हिस्सा है। जिसमें दो पेड पीपल, दो पेड नीम, दो पेड बडवेरी व तीन पेड जूर के खडे है। , जो शामलात के है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 का मुताविक जमावन्दी हिस्सा है। त आराजी चाह को शामलात में काविज एवं दखिल होकर उपयोग-उपभोग कर रहे है तथा राजस्व रिकोर्डस में ल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी का अभी तक वटवारा नही हुआ है। तक तक प्रत्येक इन्च भू भाग पर क पक्षकार का पूर्ण हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण जवरदस्त लडाका एवं मुठमर्द किस्म के आदमी है जो वादी के मलात कब्जे काश्त उपयोग में मजाहमत करते है और उक्त समस्त पेडो को काटना चाहते है और विवादित राजी में अनाधिकृत निर्माण करना चाहते है एवं वादी को जवरन बेदखल कर उक्त आराजी को रहन बय हिवा दे से मुन्तकिल करना चाहते है। जिसका कि उन्हे विना तकासमा कराये कोई हक व अधिकार हासिल नही है। सूरत में अव वादी को प्रतिवादीगण के साथ शामलात में काश्त करना सम्भव नही है। इसलिए मिन वादी ने हिस्से 2/6 भाग अर्थात 1/3 भाग का तकासमा बाई मीटस एण्ड वाउण्डस कराकर अलग से कुर्रेजात यम करने व अलग से लगान खाता कायम कराने के हकदार है कि जिससे लिए दावा तकासमा दायर करना

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

ाजिम आजम है। अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावें डिक्री इजराय तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नं0 1237 रकबा 0.08 है0 गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम नीमली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) है, में वादी का 2/6 भाग अर्थात 1/3 हिस्सा का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी को अलग से दखल दिलाया जावे एवं वादी का अलग से लगान खाता कायम किया जाकर अलग से कुर्रेजात कायम कर वादी को अलग से दखल दिलाया जावें। जरिये हुक्म दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी से जबरन वादी को बेदखल ना करें, ना ही कब्जा कास्त मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भी तौर पर हस्तांतरित को रहन, बय, हिबा, लीज इत्यादि द्वारा मुनकिल करें, ना ही हरे पेड़ों को काटे और ना ही अनाधिकृत रूप से निर्माण करें। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगा0 8 नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नही आने पर दिनांक 17.12.2012 को इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 09 की और से राज्यहित न होने के कारण कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 प्रदर्श 1 को प्रदर्शित कराया है।

प्रकरण में दिनांक 31–12–2012 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार तिजारा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/52 दिनांक 07–01–2022 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 1237 रकबा 0. है0 गैर मुनकिन चाह वाके ग्राम नीमली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	किस्म
01.	शेर मोहम्मद पुत्र मुनीर मेव हि0 पूर्ण सा0 देह खातेदार	1237/1	0.32	0.03	गै.मु.चाह
02.	मगरू पुत्र ईशाक वगै0 हि0 मु0 जमाबन्दी अनुसार मेव सा. देह खातेदार	1237/2	0.048	0.05	गै.मु.चाह

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)